

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई-33/नेत्र सहायक/163/2019/

दिनांक :

आदेश

श्री जयप्रकाश नेत्र सहायक दिनांक 1.11.2018 से 18.12.2018 तक निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थित रहे हैं। राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 7(8) (बी) (III) एवं वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक एफ.(1)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 6.8.2018 के अन्तर्गत श्री जयप्रकाश नेत्र सहायक को ड्यूटी पर माने जाने तथा नियमों के नियम 25 (ए) के तहत उक्त अवधि का वेतन सीएचसी मांगरोल (बारां) में नेत्र सहायक के रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आई.डी. संख्या 26 दिनांक 2.9.2019 के अनुसरण में जारी की गई है।

4

( मुकुल शर्मा )  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर

क्रमांक : ई-33/नेत्र सहायक/163/2019/303 दिनांक : 9.9.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सचिवालय जयपुर।
2. उप शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप-3 विभाग सचिवालय जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सीएचसी, मांगरोल/अंता (बारां)
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को वास्ते अपलोड हेतु।
6. श्री जयप्रकाश, नेत्र सहायक, सीएचसी खण्डार (सवाई माधोपुर)
7. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर